अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 823(अ).- संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 में नियम 3-ग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

'3-ग - कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध,- (1) कोई भी सरकारी सेवक किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबधी किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक सरकारी सेवक, जो कार्यस्थल का प्रभारी है, अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए समुचित कदम उठाएगा।

स्पष्टीकरण - (I) इस नियम के प्रयोजनार्थ,-

(क) "लैंगिक उत्पीड़न" के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तात्पर्यित) सम्मिलित है; अर्थात :-

(i) शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना; या

(ii) लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर-शाब्दिक आचरण करना।

(ख) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती हैं या विद्यमान है या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा:-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना।

(ग) "कार्यस्थल" में निम्नलिखित शामिल है-

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या भागतः उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iii) प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद काम्प्लेक्स या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं;

(iv) नियोजन से प्रोदभूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(v) कोई निवास-गृह या कोई गृह।"।

[सं. 11013/2/2014-स्था.(क)]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी- मूल नियम, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 12 दिसंबर, 1964 की का.आ. सं. 4177 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किए गए थे:-

क्र.सं.	अधिसूचना सं	दिनांक	भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित का.आ. सं.	
1.	25/23/68-स्था(क)	3 फरवरी, 1970	482	14 फरवरी, 1970
2.	25/11/72-स्था(क)	24 अक्तूबर, 1972	3643	4 नवंबर, 1972
3.	25/57/64-स्था(क)	5 जनवरी, 1973	83	13 जनवरी, 1973
4.	11013/12/75-स्था(क)	13 फरवरी, 1976	846	28 फरवरी, 1976
5.	25/19/74-स्था(क)	30 जून, 1976	2563	17 जुलाई, 1976
6.	11013/19/75-स्था(क)	6 जुलाई, 1976	5691	24 जुलाई, 1976
7.	11013/06/75-स्था(क)	24 नवंबर, 1976	4663	11 दिसंबर, 1976
8.	11013/4/76-स्था(क)	24 अगस्त, 1977	2859	17 सितंबर, 1977
9.	11013/03/78-स्था(क)	22 सितंबर, 1978	2859	30 सितंबर, 1978
10.	11013/12/78-स्था(क)	20 दिसंबर, 1978	3	6 जनवरी, 1980
11.	11013/3/80-स्था(क)	24 अप्रैल, 1980	1270	10 जून, 1980
12.	11013/21/84-स्था(क)	3 अक्तूबर, 1985	4812	19 अक्तूबर, 1985
13.	11013/6/85-स्था(क)	21 फरवरी, 1986	935	8 मार्च, 1986
14.	11013/11/85-स्था(क)	7 मार्च, 1986	1124	22 मार्च, 1986
15.	11013/5/86-स्था(क)	4 सितंबर, 1986	3159	20 सितंबर, 1986
16.	11013/16/85-स्था(क)	10 सितंबर, 1986	3280	27 सितंबर, 1986
17.	11013/1/87-स्था(क)	27 जुलाई, 1987	1965	8 अगस्त, 1987
18.	11013/19/87-स्था(क)	19 अप्रैल, 1988	1454	14 जून, 1988
19.	11013/18/87-स्था(क)	18 सितंबर, 1990	2582	6 अक्तूबर, 1990
20.	11013/20/91-स्था(क)	9 दिसंबर, 1992	3231	6 दिसंबर, 1992
21.	11013/4/93-स्था(क)	12 जुलाई, 1995	सा.का.नि. 355	29 जुलाई, 1995
22.	11013/4/93-स्था(क)	16 अगस्त, 1996	सा.का.नि. 637	31 अगस्त, 1996
23.	11013/10/97-स्था(क)	13 फरवरी, 1998	सा.का.नि. 49	7 मार्च, 1998
24.	11013/5/97-स्था(क)	14 अक्तूबर, 1999	सा.का.नि. 342	23 अक्तूबर, 1999
25.	11013/6/2001-स्था(क)	15 दिसंबर, 2003	सा.का.नि. 458	27 दिसंबर, 2003
26.	11013/7/2005-स्था(क)	18 अक्तूबर, 2005	सा.का.नि. 376	18 अक्तूबर, 2005

27.	11013/12/2008-स्था(क)	27 जनवरी, 2009	सा.का.नि. 8	27 जनवरी, 2009
28.	11013/8/2009-स्था(क)	9 मई, 2011	सा.का.नि. 370(अ)	9 मई, 2011
29.	11013/3/2013-स्था(क)	4 मार्च, 2014	सा.का.नि. 149(अ)	4 मार्च, 2014

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 608] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2014/कार्तिक 28, 1936
No. 608] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2014/KARTIKA 28, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली,19 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 822(अ):— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श के पश्चात्, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :-

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) तृतीय संशोधन नियमावली, 2014 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 में, स्पष्टीकरण में मद सं. (viii) के पश्चात् निम्नलिखित मद को जोड़ा जाएगा, नामत :-

"(ix) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 ग में अभिप्रेत यौन उत्पीडन की शिकायतों की जांच हेतु तथा नियम 14 के उप नियम (2) के परंतुक में संदर्भित भारत सरकार के विभाग में बनाई गई शिकायत समिति की सिफारिशों पर दिया गया हर्जाना ।" ।

[सं. 11013/2/2014-स्था.(क)]

ममता कुंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र में दिनांक 20 नवंबर, 1965 की अधिसूचना सं. 7/2/63 स्था.(क) के तहत प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए थे:-

1.	का.आ.1149, दिनांक 13 अप्रैल, 1966;
2.	का.आ.1596, दिनांक 04 जून, 1966;
3.	का.आ.2007, दिनांक 09 जुलाई, 1966;
4.	का.आ.2648, दिनांक 02 सितम्बर, 1966;
5.	का.आ.2854, दिनांक 01 अक्तूबर, 1966;
6.	का.आ.1282, दिनांक 15 अप्रैल, 1967;
7.	का.आ.1457, दिनांक 29 अप्रैल, 1967;
8.	का.आ.3253, दिनांक 16 सितम्बर, 1967;
9.	का.आ.3530, दिनांक 07 अक्तूबर, 1967;
10.	का.आ.4151, दिनांक 25 नवम्बर, 1967;
11.	का.आ.321, दिनांक 09 मार्च, 1968;
12.	का.आ.1441, दिनांक 27 अप्रैल, 1968;
13.	का.आ.1870, दिनांक 01 जून, 1968;
14.	का.आ.3423, दिनांक 28 सितम्बर, 1968;
15.	का.आ.5008, दिनांक 27 दिसम्बर, 1969;
16.	का.आ.397, दिनांक 07 फरवरी, 1970;
17.	का.आ.3521, दिनांक 25 सितम्बर, 1971;
18.	का.आ.249, दिनांक 01 जनवरी, 1972;
19.	का.आ.990, दिनांक 22 अप्रैल, 1972;
20.	का.आ.1600, दिनांक 01 जुलाई, 1972;
21.	का.आ.2789, दिनांक 14 अक्तूबर, 1972;
22.	का.आ.929, दिनांक 31 मार्च, 1972;
23.	का.आ.1648, दिनांक 06 जुलाई, 1974;
24.	का.आ.2742, दिनांक 31 जुलाई, 1976;
25.	का.आ.4664, दिनांक 11 दिसम्बर, 1976;
26.	का.आ.3062, दिनांक 08 अक्तूबर, 1977;
27.	का.आ.3573, दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
28.	का.आ.3574, दिनांक 26 नवम्बर, 1977;
29.	का.आ.3671, दिनांक 03 दिसम्बर, 1977;
30.	का.आ.2464, दिनांक 02 सितम्बर, 1978;
31.	का.आ.2465, दिनांक 02 सितम्बर, 1978;
32.	का.आ.920, दिनांक 17 फरवरी, 1979;
33.	का.आ.1769 दिनांक 05 जुलाई, 1980;
34.	का.आ.264, दिनांक 29 जनवरी, 1981;
35.	का.आ.2126, दिनांक 08 अगस्त, 1981;
36.	का.आ.2203, दिनांक 22 अगस्त, 1981;
37.	का.आ.2512, दिनांक 03 अक्तूबर, 1981;
38.	का.आ.168, दिनांक 23 जनवरी, 1982;
39.	का.आ.1535, दिनांक 12 मई, 1984;
40.	अ.सं.11012/15/84-स्था.(क), दिनांक 05 जुलाई, 1985
41.	अ.सं.11012/05/85-स्था.(क),दिनांक 29 जुलाई, 1985;
42.	अ.सं.11012/06/85-स्था.(क), दिनांक 06 अगस्त, 1985;
43.	का.आ.5637, दिनांक 21 दिसम्बर, 1985;
44.	का.आ.5743, दिनांक 28 दिसम्बर, 1985;
45.	का.आ.4089, दिनांक 13 दिसम्बर, 1986;
46.	अ.सं.11012/24/85-स्था.(क), दिनांक 26 नवम्बर, 1986;
47.	का.आ.830, दिनांक 28 मार्च, 1987;
48.	का.आ.831, दिनांक 28 मार्च, 1987;
49.	का.आ.1591, दिनांक 27 जून, 1987;
50.	का.आ.1825, दिनांक 18 जुलाई, 1987;
51.	का.आ.3060, दिनांक 15 अक्तूबर, 1988;
52.	का.आ. 3061, दिनांक 16 अक्तूबर, 1988;
53.	का.आ.2207, दिनांक 16 सितम्बर, 1989;
54.	का.आ.1084, दिनांक 28 अप्रैल, 1990;
55.	का.आ. 2208, दिनांक 25 अगस्त, 1990;
56.	का.आ.1481, दिनांक 13 जून, 1992;
57.	सा.का.नि. 289, दिनांक 20 जून, 1992;
58.	सा.का.नि.589, दिनांक 26 दिसम्बर, 1992;
59.	सा.का.नि.499, दिनांक 08 अक्तूबर, 1994;
60.	सा.का.नि.276, दिनांक 10 जून, 1995;
61.	सा.का.नि.17, दिनांक 20 फरवरी, 1996;
62.	सा.का.नि. 125, दिनांक 16 मार्च, 1996;
63.	सा.का.नि. 417, दिनांक 05 अक्तूबर, 1996;
64.	सा.का.नि. 337, दिनांक 02 सितंबर, 2000;
65.	सा.का.नि. 420, दिनांक 28 अक्तूबर, 2000;
66.	सा.का.नि. 211, दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
67.	सा.का.नि. 60, दिनांक 13 फरवरी, 2002;
68.	सा.का.नि. 2, दिनांक 03 जनवरी, 2004;
69.	सा.का.नि. 113, दिनांक 10 अप्रैल, 2004;
70.	सा.का.नि. 225, दिनांक 10 जुलाई, 2004;
71.	सा.का.नि. 287, दिनांक 28 अगस्त, 2004;
72.	सा.का.नि. 1, दिनांक 20 दिसंबर, 2004;
73.	सा.का.नि. 49, दिनांक 29 मार्च, 2008;
74.	सा.का.नि. 12, दिनांक 07 फरवरी, 2009;
75.	का.आ. 946, दिनांक 09 अप्रैल, 2009;
76.	का.आ.1762 (ई), दिनांक 16 जुलाई, 2009;
77.	सा.का.नि. 55 (ई), दिनांक 02 फरवरी, 2010;
78.	का.आ. 2079(ई), दिनांक 01 जनवरी, 2014 और
79.	सा.का.नि. 769(ई), दिनांक 31 अक्तूबर, 2014